राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .. 2357/2016..............................जिला...........अलवर...

उनवान – मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा.लि., इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य**	
22/11/2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 05.10.2016 के विरूद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित धारा 83 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** .कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की गयी है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान विनिर्मित बीयर का शाखा अन्तरण बिहार राज्य स्थित स्वयं के डिपों में प्रदर्शित किया है, जबकि कम्पनी द्वारा बिहार स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि. पटना, बिहार के साथ माल बीयर की आपूर्ति के लिये लिखित में विक्रय के लिये समझौते (agreement to sell) किए है एवं विक्रय के समझौते की शर्तों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के बाहर बिहार राज्य में बीयर की आपूर्ति की गयी है तथा विक्रय एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसरण में की गयी बीयर आपूर्ति को स्टॉक ट्रांसफर प्रदर्शित किया गया है। विक्रय के समझौते के अनुसरण में कम्पनी द्वारा विनिर्मित बीयर की आपूर्ति के संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार है, जबकि कम्पनी द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहारों को शाखा अन्तरण प्रदर्शित कर देय कर का अपवंचन/परिवर्तन किया जाना पाया गया। वर्ष 2013–14 में कम्पनी द्वारा बिहार स्टेट ब्रेबरीज कॉर्पोरेशन लि. पटना को रू. 15,93,49,779/– का स्टॉक ट्रांसफर लेखा पुस्तकों में दर्शाया है। निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा किये गये अन्तर्राज्यीय विक्रय राशि रूपये 8,94,21,099/– पर 20 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,78,84,220/–, अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 3,57,68,440/– एवं धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 59,01,793/– आरोपित करते हुए कुल राशि रूपये 5,95,54,453/– आरोपित की। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल व विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। दोनों पक्षों की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी ने बिना किसी आधार के स्टॉक टांसफर को नियमित विक्रय मानते हुए करारोपण किया है। अतः उन्होंने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवादास्पद मांग राशियों को अपील के निर्णय तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया। लगातार...............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 2357 / 2016..............................जिला...........अलवर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22 / 11 / 2016	इसके विपरीत उपराजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का पुरजोर समर्थन किया। अतः सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में ठहरता है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनने, सशक्त अधिकारी के आदेश, अपील स्थगन आधार पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। समान तथ्यों पर कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ ने अपील संख्या 1330 से 1334 / 2014 / अलवर मैसर्स कार्ल्सबर्ग बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भिंवाडी निर्णय दिनांक 24.11.2014 में व्यवहारी के प्रकरणों को अस्वीकार किया है, अतः ऐसी स्थिति में व्यवहारी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावें तथा पत्रावली वास्ते सुनवाई खण्डपीठ कैम्प जयपुर के समक्ष दिनांक 18.01.2017 को पेश हो। 22.11.2016 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	